झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–764/2019– 17/21-22 ५.८५ राँची, दिनांक 27.09.2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्षित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत काँची वीयर के "शीर्ष कार्य" में क्षतिग्रस्त सी०सी० ब्लॉक तथा लांचिंग एप्रोन के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रू० 1201.67 लाख (रूपये बारह करोड़ एक लाख सड़सठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन राँची जिलान्तर्गत काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत काँची वीयर के "शीर्ष कार्य" में क्षतिग्रस्त सी०सी० ब्लॉक तथा लांचिंग एप्रोन के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रू० 1201.67 लाख (रूपये बारह करोड़ एक लाख सड़सठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजना के शीर्ष कार्य में वीयर के बांये स्लूइस गेट के डाउन–स्ट्रीम (D/S) भाग में मिट्टी जमा हो गई है जिसके कारण पानी का प्रवाह दायीं तरफ वीयर की ओर हो जाता है। वीयर के डाउन स्ट्रीम फ्लोर के नीचे कई स्थानों पर sheet pile स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस कटऑफ के बाद downstream (निम्न प्रवाह) में 1.5 मी० x 1.5मी० x 0.9 मी० साईज का सी०सी० (Cement Concrete) ब्लॉक कई स्थानों पर धंसा हुआ है। सी०सी० ब्लॉक के निम्न प्रवाह वाले भाग में Crated boulder भी धँसा हुआ है। पाईपिंग द्वारा वीयर बॉडी के नीचे से पानी का लगातार leakage हो रहा है। वियर के अप स्ट्रीम भाग में वाटर हेड बढ़ जाने की स्थिति में तीव्र पाईपिंग की संभावना बढ़ जाती है जो पूरी संरचना को क्षतिग्रस्त कर सकता है। योजना स्थल का निरीक्षण अभियंता प्रमुख–1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा किया गया है। मुख्य अभियंता एवं रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आवश्यक पुनर्स्थापन/मरम्मति कार्य हेतु आलेख्य की स्वीकृति दी गई है।

4. काँची वीयर योजना से खूँटी जिला के अड़की प्रखण्ड अन्तर्गत 14 ग्रामों, राँची–जिला के तमाड़ प्रखण्ड के अन्तर्गत 44 ग्राम एवं सोनाहातु प्रखण्ड अन्तर्गत 23 ग्रामों तथा सरायकेला

जिला के ईचागढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत 44 ग्रामों में सिंचाई दी जाती है। योजना का सी०सी०ए० 21235 हे० है तथा सृजित सिंचाई क्षमता 17800 हे० है। आगामी मॉनसून के पूर्व योजना के क्षतिग्रस्त भाग सी०सी० ब्लॉक एवं लाँचिंग एप्रोन की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन का कार्य उत्तरोत्तर क्षति से बचाने हेतु SOS तर्ज पर कराना अत्यंत आवश्यक है।

5. काँची वीयर की कुल लम्बाई 231.60 मी० है, जिसमें 62 मी० से 231.60 मी० की लम्बाई में वर्ष 2005 में ध्वस्त हो गया था, जिसके पुनर्स्थापन का कार्य वर्ष 2011–13 की अवधि में कराया गया एवं सिंचाई सुविधा बहाल की गयी।

6. मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के पत्रांक 719 दिनांक 16.12.2020 द्वारा क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति हेतु आलेख्य की स्वीकृति दी गयी है एवं पत्रांक–367 दिनांक 22.06.2021 द्वारा पूरे क्षतिग्रस्त भाग में स्वीकृत आलेख्य के अनुरूप कार्य कराने की सहमति दी गई है। आलेख्य में प्रावधानित मदों का समावेश करते हुए वीयर का सी०सी० ब्लॉक, क्रेटेड बोल्डर सहित हेड वर्क्स की मरम्मति कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के पत्रांक–930 दिनांक 16.07.2021 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

7. प्राक्कलन में प्रावधान :–

(i) आलेख्य के अनुसार स्लोप में अवस्थित सी0सी0 ब्लॉक को Dismantle कर 600 mm पी०सी०सी० कराकर उसके उपर Boulder Masonary एवं उसके उपर 500 mm. Stilling Basin RCC Floor का प्रावधान किया गया है। इसके अंत में 5 Meter depth तक RCC कट ऑफ निर्माण का प्रावधान है।

(ii) बायें Sluice Gate के डाउन स्ट्रीम में पानी बहाव के कारण 12 मी० लम्बाई में एवं तीन मीटर गहराई तक कटाव हो गया है, जिसके कारण वीयर के दोनों तरफ Abutment Wall एवं वीयर शीर्ष संरचना पर दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

उक्त भाग का मरम्मति कंक्रीट (P.C.C.) से करने एवं डाउन स्ट्रीम भाग में Cut-off निर्माण का प्रावधान है।

(iii) वीयर शीर्ष संरचना के D/S के बांयी तरफ नदी में Overburden होने के कारण वर्षांत में अत्यधिक जलश्राव होने पर आंशिक भाग से ही पानी का बहाव होता है, जिससे कटाव होता है। इस प्राक्कलन में उक्त Overburden हटाकर, सम्पूर्ण चौड़ाई में पानी बहाव सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

(iv) वीयर शीर्ष के D/S में Stilling Basin तथा C.C. Block के बाद 15 मी० की लम्बाई में क्षतिग्रस्त Crated Boulder के पुनर्स्थापन का प्रावधान किया गया है।

8. काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत काँची वीयर के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रू० 1201.67 लाख के प्राक्कलन की मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) का अवयववार विवरणी निम्नवत् है –

क्र०	अवयव	राशि (लाख में)	अभियुक्ति
1.	C- Works	1057.06	
2.	GST @ 12%	126.85	
3.	Labour Cess @ 1%	11.84	
4.	Contingency @ 0.5%	5.92	
	कुल :–	**1201.67**	

यह प्राक्कलन जून 2021 के अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है।

9. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा।

10. इस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् निविदा आमंत्रित कर यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारंभ कर जुलाई 2022 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-46-00-05-45)

12. वर्ष 2021–22 के बजट में सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है–

i) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 46 – 00 – 05 – 45 में रू० 300.00 लाख

13. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

14. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

15. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

16. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

17. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से

27/09/21

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–764/2019– 17/21-22 ए.सी. /राँची, दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–764/2019– 17/21-22 ए.सी. /राँची, दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची (कचहरी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–764/2019– 17/21-22 ए.सी. /राँची, दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू/ई० सुरेश प्रसाद भगत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, वर्त्तमान में अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–764/2019– 17/21-22 ए.सी. /राँची, दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

27.09.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–764/2019– 17/21-22 ए.सी. /राँची, दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.09.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव